प्रेषक,

संख्या: /779/12-5-2014-02/2015

सी0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ ।

कृषि अनुभाग-5: लखनऊ : दिनांक: 16 फरवरी, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर 001-निदेशन तथा प्रशासन 05-जिला संगठन योजना हेतु पुनर्विनियोग के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी0ए0(1)772/पुनर्विनियोग /2014-15, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नवसृजित मण्डल अलीगढ़ के कृषि विभाग के कार्यालयों हेतु कतिपय पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों के परिश्रमिक का भुगतान करने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रू0 4300 हजार (रू0 तेतालिस लाख मात्र) के व्यय की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

2- उक्त अनुदान की धनराशि पर अनुदान नियमावली के समस्त नियम लागू होंगे तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय 16 ए के नियम इस अनुदान पर लागू होंगे तथा इस सबंध में वित्त (लेखा) अनुदान-1 द्वारा निर्गत

upasanadesh.up.nic.in

राजाज्ञा संख्या-1238/10-15(1)/63, दिनांक 17.01.79 में उल्लिखित निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-ए-2364/दस-15(1)/63, दिनांक 17.01.79 में अनुलग्नित नियमावली का भी परिपालन किया जायेगा ।

3- उक्त धनराशि के देयक पर कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा और मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा भुगतान किया जायेगा ।

4- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरण फेजिंग के आधार पर सुनिश्चित किया जाय । जहॉ तक सम्भव हों व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय ।

5- जिस मद में बचत बतायी गयी है चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में उस मानक मद में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी ।

6- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-001 निदेशन तथा प्रशासन 05-जिला संगठन-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा ।

7- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रदत्त प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है ।

संलग्नक- यथोक्त ।

भवदीय,

(सी0पी0 सिंह)
विशेष सचिव ।

Shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 779(1)/12-5-2014 , तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।

2- निदेशक, सम्वर्ती सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ ।

4- वित्त नियंत्रक , कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

5- वित्त (व्यय -नियंत्रक) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश , जवाहर भवन, लखनऊ ।

7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मंजू लता सिंह)
अनु सचिव

Shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या: /779/12-5-2014-02/2015 दिनांक 16;02;2015

का संलग्नक

प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर -158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली भॉति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम: 11-कृषि तथा अन्य सम्बद्व विभाग (कृषि) **वित्तीय वर्ष 2014-15**

(धनराशि हजार रू0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6

अनुदान संख्या-11

2401001070300

2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर

107-वनस्पति संरक्षण

03-पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा

03-मंहगाई भत्ता

	367500	**4300**	**4300**	**4300**	**363200**
कुल योग			**4300**	**4300**	**363200**

shasanadesh.up.nic.in

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12

अनुदान संख्या-11

2401000010500

2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर

001-निदेशन तथा प्रशासन

05-जिला संगठन

16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

	300	**4600**	**4300**	**4300**	**4600**
			4300	**4300**	**4600**

(रू0 तेतालिस लाख मात्र)

1-स्तम्भ-1 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से हैं :-

अ-मंहगाई भत्ते की मद में वास्तविक मॉग के आधार पर बचत है ।

2- स्तम्भ -8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

ब- शा0 सं0-1947/12-1-12-2545/10 दिनांक 13.09.2012 के क्रम में अलीगढ़ मण्डल हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु ।

Shasanadesh.up.nic.in

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर सं0-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है ।

संख्या: आरई/216/ई-1-57/दस-2015 दिनांक 03 फरवरी, 2015

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,

प्रशासकीय विभाग **वित्त विभाग**

(मंजू लता सिंह) **(अवनिश चन्द्र द्विवेदी)**

अनुसचिव, **उप सचिव,**

कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन । **वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।**

संख्या- 779(1)/12-5-2015 , तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, इलाहाबाद ।

(2) वित्त नियंत्रक , कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

(3) सम्बन्धित कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0 एम0-9 तीन प्रतियों में) ।

(5) वित्त (व्यय -नियंत्रक) अनुभाग-1

(6) गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(मंजू लता सिंह)

अनु सचिव

Shasanadesh.up.nic.in